सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर–272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक– 123 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026,

दिनांक– 30–04–2026

सेवा में,

1. **समस्त अधिष्ठातागण**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।
2. **प्राचार्य / प्राचार्या,**
   समस्त राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
   सम्बद्ध सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर।

विषय– देश में लू–प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी / कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–456 / सत्तर–3–2026–1912361 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राहत आयुक्त / अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या–1536 / कृषि / हीटवेव / 2025–26 दिनांक 27 फरवरी, 2026 (छाया प्रति संलग्न) में दिये गये प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है।

<u>शिक्षा विभाग</u>–

- उच्च शिक्षा संस्थानों में छाया एवं पेय जल की समुचित व्यवस्था।
- गर्मी के दृष्टिगत RO Water स्थापित / क्रियाशील किये जाए।
- गर्मी के दृष्टिगत उच्च शैक्षिक संस्थानों / विद्यालयों के क्लास रूम में कूलर एवं पंखे की व्यवस्था स्थापित एवं क्रियाशील करना।
- गमी के दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाय कि विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाकलापों को न किया जायें।
- शैक्षिक संस्थानों में गर्मी के प्रभाव को देखते हुए रूफ व्हाइट पेंटिंग कराया जाना एवं हीट रेजिलिएंट बिल्डिंग मैटेरियल का उपयोग किया जाना।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त सूचना ससमय शासन को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक– यथोपरि।

30/04/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक– 123 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयोगराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

संख्या- 456 /सत्तर-3-2026- 1912361

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
   उच्च शिक्षा,
   उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक: 29 अप्रैल, 2026**

विषयः- देश में लू-प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी / कार्ययोजना बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या- 1536/कृषि/हीटवेव/2025-26, दिनांक 27 फरवरी, 2026 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में की गयी अपेक्षानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं कृत कार्यवाही की सूचना समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
Digitally signed by Shakil Ahmad Siddiqui
Date: 29-04-2026 17:11:09
(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

बी–1 ब्लाक, प्रथम तल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

संख्या– 1536/कृषि/हीटवेव/2025–26 दिनांक: 27 फरवरी, 2026

प्रेषक,

डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद,
राहत आयुक्त/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, कृषि, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, श्रम, वन, पर्यटन, परिवहन, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क, ऊर्जा, आवास एवं शहरी नियोजन, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. **महानिदेशक/निदेशक/आयुक्त,**
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं जन सम्पर्क, ग्राम्य विकास, शहरी स्थानीय निकाय, पशुपालन, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं मौसम विज्ञान विभाग, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं, उ0प्र0।
3. **मंडल रेल प्रबन्धक, (उत्तरी रेलवे, उत्तर–पूर्व एवं उत्तर–मध्य रेलवे)।**

विषयः– **प्रदेश में लू–प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी/कार्ययोजना बनाये जाने के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

विदित है कि जलवायु परिवर्तन के कारण निरंतर मौसम में बदलाव की तीव्रता एवं आवृत्ति बढ़ रही है, जिसमें विशेषकर विगत वर्षो में लू–प्रकोप के प्रभावों की तीव्रता में बढोत्तरी हुयी है। 02 से 03 दिन तक यदि मैदानी क्षेत्र में 40°C से अधिक तापमान रहता है, तो उस स्थान पर हीटवेव की स्थिति उत्पन्न होती है। विगत 05 वर्षो (वर्ष 2021–25) में 2024 सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा है। पिछले 05 (वर्ष 2021–2025) वर्षो के तापमान के ऑकड़ो के आंकलन के आधार पर जनपद झांसी का औसत तापमान 46.54°C व वर्ष 2024 में अधिकतम तापमान 49.0°C रहा है, प्रयागराज का औसत तापमान 46.2°C व वर्ष 2024 में अधिकतम तापमान 48.8°C रहा है, आगरा का औसत तापमान 46.02°C व वर्ष 2024 में अधिकतम तापमान 48.6°C रहा है, हमीरपुर का औसत तापमान 44.86°C व वर्ष 2024 में अधिकतम तापमान 48.2°C रहा है, कानपुर नगर का औसत तापमान 43.98°C रहा व वर्ष 2024 में अधिकतम तापमान 46.8°C रहा है। इस प्रकार प्रदेश के इन पांच वर्षो के स्टेशनवार तापमान के आंकडें संलग्न है। वर्ष 2025 में हल्की गर्मी के बावजूद बढते तापमान की प्रवृत्ति रही है।

2. सन् 2021 से 2025 के बीच वर्ष 2021 में अधिकतम तापमान 45.2°C रहा है। हीट वेव दिनों की कुल संख्या 62 रही है जिसमें जनपद झांसी में सर्वाधिक 12 हीटवेव दिवस रहा। वर्ष 2022 में अधिकतम तापमान 47.7°C रहा है। हीट वेव दिनों की कुल संख्या 397 रही है जिसमें जनपद प्रयागराज में सर्वाधिक 42 हीटवेव दिवस रहा। वर्ष 2023 में अधिकतम तापमान 46.5°C रहा है। हीट वेव दिनों की कुल संख्या 90 रही है जिसमें जनपद प्रयागराज में सर्वाधिक 14 हीटवेव दिसव रहा। वर्ष 2024 में अधिकतम तापमान 49.0°C रहा है। हीट वेव दिनों की कुल संख्या 436 रही जिसमें जनपद झांसी में सर्वाधिक 25 हीटवेव दिवस रहा। वर्ष 2025 में अधिकतम तापमान 46.6°C रहा है। हीट वेव दिनों की कुल संख्या 66 रही जिसमें जनपद झांसी व बांदा में सर्वाधिक 07–07 हीटवेव दिवस रहा। उक्त हीटवेव दिनों की संख्या से देखा जा सकता है कि किसी वर्ष में 300 से अधिक हीटवेव दिनों की संख्या रही है जबकि किसी वर्ष में 100 से कम हीटवेव दिनों की संख्या रही है। सूची संलग्न है।

3. उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पिछले 05 वर्षो (2021–25) में अधिकतम तापमान बढ़ने के कारण हीटवेव की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। बढते तापमान के कारण सामान्य जन–जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है, जिसमें विशेषकर संवेदनशील वर्ग जैसे कि वृद्ध, रोगी, श्रमिक, गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों पर हीटवेव का अधिक दुष्प्रभाव पडता है। हीट वेव से बचाव एवं इसके नकारात्मक प्रभावों के न्यूनीकरण हेतु संबंधित विभागों / संस्थाओं / जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में निम्न गतिविधियॉं की जाती रही हैः–

- पूर्व चेतावनी प्रणाली, संवेदनशील आबादी की पहचान करना, जनजागरुकता, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का प्रबंधन, गर्मी कम करने हेतु शहरी नियोजन नीतियॉं, आवासीय योजनाओं के ले–आउट, भवन डिजाइन / बायलॉज, कूलिंग सेंटर, हीट शेल्टर, ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कूल रूफ निर्माण तकनीक, राज्य के विभिन्न स्तरों (राज्य / जनपद / ब्लाक स्तर) पर नोडल अधिकारी नामित करने, वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से जनपद एवं ब्लाक स्तर पर हीट–वेव को मॉनीटर करना, हीट वेव के समय क्या करें व क्या न करें का व्यापक प्रचार–प्रसार करना, मोबाइल मैसेज, व्हाट्सएप के माध्यम से चेतावनी प्रेषित करना, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाडी केन्द्र पर ओ0आर0एस0 पैकेट की समुचित व्यवस्था करना, तीव्र गर्मी से बचाव हेतु विद्यालय के समय में परिवर्तन करना, पेयजल की समुचित व्यवस्था एवं श्रमिकों / कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन करना, हीटस्ट्रोक से मृत्यु से बचाव हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करना, हीट–वेव के संबंध में नियमित रूप से प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करना, मंदिरों / लोक भवन / मॉल / स्थायी एवं अस्थायी शरणालयों को Cooling Centre के रूप में चिन्हित करना, लोक स्थानों पर नगर निगमों, एन0जी0ओ0 / सामुदायिक समूहों वैयक्तिक रूप से पानी एवं छॉंछ की व्यवस्था करना एवं पर्याप्त विद्युत आपूर्ति इत्यादि जैसे कार्य।

4. उक्त के अनुक्रम में वर्ष 2026 में भी हीटवेव की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए हीटवेव के प्रबंधन हेतु उक्त कार्यो पर ध्यान केन्द्रित करते हुए इसको विस्तारित करने की नितांत आवश्यकता है।

5. विदित है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के क्रम में राजस्व अनुभाग–11, उ0प्र0 शासन के कार्यालय आदेश संख्या–414 / एक–11–2024, दिनांक 26–04–2024 के माध्यम से राज्य स्तर पर राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश को राज्य हीटवेव नोडल अधिकारी तथा जिले स्तर पर जनपद के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जनपद हीटवेव नोडल अधिकारी नामित किया गया है तथा शहरी स्तर पर अपर नगर आयुक्त को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

6. सबंधित विभागों को कार्ययोजना बनाने हेतु राजस्व अनुभाग–11 द्वारा शासनादेश संख्या–180 / एक–11–2025 जारी किया गया था। उक्त के क्रम में राज्य स्तर पर हीटवेव से बचाव हेतु प्रस्तर–3 में वर्णित कार्यो एवं निम्न कार्यो को दृष्टिगत रखते हुए सम्बंधित विभागों द्वारा वर्ष 2026 में कार्ययोजना बनाया जाना / अद्यतन किया जाना है:–

<u>राजस्व विभाग–</u>

- हीटवेव से बचाव हेतु राहत एवं सर्वे, मुआवजा और प्रशासनिक क्रियान्वयन।
- हीटवेव से प्रभावित व्यक्तियों का सर्वे एवं क्षति ऑकलन।
- मृत्यु एवं बीमारी की रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रेषित करना।
- प्रभावित परिवारों को राज्य आपदा मोचक निधि के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान करना।
- जिला, नगर निगम, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर राहत शिविर, कूलिंग सेन्टर स्थापित करना।
- लू से मृत्यु के मामलों में सत्यापन एवं राहत वितरण की समुचित व्यवस्था करना।

उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–

- प्रदेश में हीटवेव से बचाव हेतु नीति, योजना, प्रशिक्षण, समन्वय और मानीटरिंग संबंधी कार्य एवं एडवाइजरी को ससमय जारी करते हुए संबंधित विभागों द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित कराया जाना।
- राज्य हीट एक्शन प्लान तैयार करना व अपडेट करना।
- जिलों व नगर निकायों को District Heat Action Plan & City Heat Action Plan बनाने/अद्यतन किये जाने हेतु दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- विभागों (स्वास्थ्य, नगर विकास, जल, शिक्षा एवं सभी संबंधित विभागों) के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- IMD अलर्ट के आधार पर पूर्व चेतावनी प्रणाली सक्रिय करना।
- प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण व IEC (Information Education Communication) अभियान का संचालन कराया जाना।
- कूलिंग सेंटर, शेड, पेयजल, ग्रीन कवर जैसी दीर्घकालिक शमन रणनीतियाँ विकसित करना।
- मॉनिटरिंग व समीक्षा बैठकें आयोजित करते हुए आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करना।
- SDRF (Preparedness and Capacity Building) & SDMF अन्य स्रोतों से हीट वेव प्रबंधन परियोजनाओं हेतु बजट आवंटन का प्राविधान किया जाना।

<u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभागः–</u>

- प्रचार–प्रसार हेतु क्षेत्रीय भाषा में आई0ई0सी0 सामग्री तैयार किया जाना।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया (टी0वी0/एफ0एम0 रेडियो), प्रिन्ट मीडिया (समाचार पत्र), सोशल मीडिया (फेसबुक/ट्विटर/वाट्सएप के माध्यम से हीट वेव की स्थिति में क्या करें व क्या न करे के सबंध में जागरुकता का प्रचार–प्रसार करना।

<u>स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा</u>

- समस्त जिला अस्पतालों, CHC, PHC में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर स्थापित करना।
- ORS, IV Fluids, बर्फ पैक, कूलिंग उपकरण उपलब्ध कराना एवं चिकित्सीय स्टॉफ को हीट स्ट्रोक उपचार हेतु प्रशिक्षित करना।
- दिशा–निर्देश/प्रशिक्षण दिया जाना एवं ग्राम स्तर के पदाधिकारियों हेतु चेतावनी निर्गत किया जाना।
- क्षेत्रीय अस्पतालों में गर्मी से संबधित परीक्षण किया आना।
- समस्त जिला अस्पतालों, CHC, PHC में इलैक्ट्रिकल सप्लाई सुनिश्चित किया जाना तथा इलैक्ट्रिकल दुर्घटनाओं से बचाव हेतु समस्त कार्यकारी स्टॉफ को जानकारी प्रदान कर जागरूक करना।
- प्रभावित जनता के देखभाल हेतु अतिरिक्त स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जाना तथा अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ0आर0एस0 के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था करना।
- मृत्यु के कारकों की जांच करने में मानक प्रोटोकाल का पालन किया जाना तथा हीट स्ट्रोक मामलों की दैनिक रिपोर्ट करना।
- हीटवेव से मृत्यु की दशा में मृतकों के पंजीकरण की समान प्रक्रिया का पालन किया जाना।
- 108, 102 एम्बुलेंस अलर्ट मोड में रखना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित चिकित्सा सुविधा पहुंच सुनिश्चित करना।

कृषि विभाग–

- किसानों को हीट वेव से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी करना
- फसल संरक्षण हेतु सलाह

- मौसम आधारित कृषि परामर्श
- भारतीय मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के आधार पर राज्य एवं जिला–स्तरीय कृषि परामर्श जारी करना
- SMS एवं व्हाट्सएप व कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सूचना प्रसारित कराना।
- जल प्रबंधन की समुचित व्यवस्था।
- पशुधन सुरक्षा (पशुपालन समन्वय) का कार्य।
- क्षति आकलन, रिपोर्टिंग एवं हीटवेव से फसल नुकसान का सर्वे एवं राहत मुआवजा निर्धारण में सहयोग प्रदान करना।
- राजस्व विभाग/आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिला प्रशासन को रिपोर्टिंग करना।

नगर विकास विभाग –

नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका द्वारा–

- शहर/कस्बों/स्लम बस्ती, जिनका हीट वेव से ज्यादा प्रभावित होने की सम्भावना है, को चिन्हित किया जाना तथा पेयजल, ओ0आर0एस0 की व्यवस्था किया आना।
- हीटवेव (लू) से बचाव हेतु वाटर टैंकर की उपलब्धता, प्याऊ, वाटर कूलर की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पाइप जलापूर्ति की नियमित निगरानी, लीकेज मरम्मत, जल वितरण सुनिश्चित करना।
- बस स्टैण्ड, बाजार, अस्पताल परिसर में शेड्स की व्यवस्था करना।
- खुले पार्कों में छाया की समुचित व्यवस्था किया जाना।
- शहरी क्षेत्रों में खाली पडी भूमि पर पार्क निर्मित करना, छाया की व्यवस्था करना, वृक्षारोपण करना, पानी की समुचित व्यवस्था करना।
- सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव, कचरा समय पर उठवाना, सडन व सड़क दुर्गंध रोकना, नालियों का सफाई, जल भराव रोकना, मच्छर जनित रोग रोकथाम हेतु फॉगिंग करवाना।
- अस्पतालों में हीट स्ट्रोक केस हेतु अलर्ट रखना, एम्बुलेंस व हेल्पलाइन सक्रिय रखना एवं
- शहरी क्षेत्रों में नयी इमारतों के निर्माण हेतु समुचित योजना तैयार किया जाना।
- Environment and Building Code का पालन करते हुये ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाना।

श्रम विभाग–

- औद्योगिक एवं अन्य श्रमिकों के लिए गर्मी संबंधित बीमारियों हेतु जागरुकता कैम्प का आयोजन।
- बाह्य कार्यों हेतु कार्य घण्टों में परिवर्तत किए जाने हेतु नियोक्ता को निर्देशित किया आना।
- भिन्न–भिन्न प्रमुख स्थलों पर श्रमिकों हेतु कूलिंग शेल्टर्स स्थापित किया जाना तथा प्याऊ, ओ0आर0एस0 की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना।
- पीने के पानी की समुचित व्यवस्था तथा निर्माण कामगारों के सम्बन्ध में अन्य अनिवार्य मानकों का पालन।

पशुपालन विभाग–

- पशुओं की सुरक्षा हेतु हीट–वेव एक्शन प्लान तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन।
- पशुपालक कृषकों को हीट वेव की स्थिति में पशुओं की सुरक्षा हेतु जागरूक करने हेतु ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय स्टॉफ एवं गौपालकों को निर्देशित किया जाना।
- पशुओं हेतु आश्रय स्थलों एवं पशुशाला, गौशाला में वेटनरी मेडिसिन एवं पीने हेतु पेय जल की समुचित व्यवस्था तथा हीट स्ट्रेस, डिहाइड्रेशन आदि के लिए मोबाईल पशुचिकित्सालय की ईकाइयों की सक्रियता सुनिश्चित करना।
- पशुओं को धूप से बचाव हेतु आश्रय स्थलों एवं पशुशाला, गौशाला में छाया की समुचित व्यवस्था जैसे– सीमेंटेड चादर/टीनशेड (सफेद पेन्ट युक्त), हीट रेजिलिएंट बिल्डिंग मैटेरियल का प्रयोग कर पशुबाडे का निर्माण किया जाना।
- गर्मी से बचाव हेतु पशुशाला में कूलर एवं पंखे की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना तथा आग से सुरक्षा हेतु समुचित प्रबंध किया जाना।

आई0टी0 विभाग

- हीटवेव से संबंधित चेतावनी एवं आश्रय स्थलों/पेय जल की सूचना के प्रसारण हेतु मोबाइल ऐप विकसित किया जाना।

शिक्षा विभाग–

- समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों में छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।
- गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समयावधि में परिवर्तन किया जाए।
- गर्मी के दृष्टिगत RO Water स्थापित/क्रियाशील किये जाए।
- गर्मी के दृष्टिगत समस्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों/विद्यालयों के क्लास रूम में कूलर एवं पंखें की व्यवस्था स्थापित एवं क्रियाशील करना।
- गर्मी के दृष्टिगत शैक्षिक संस्थानों में मिड–डे–मील (एम0डी0एम0) में वितरित भोजन की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाएं।
- गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाकलापों को न किया जाये।
- शैक्षिक सस्थानों में गर्मी के प्रभाव को देखते हुए रूफ व्हाइट पेंटिंग कराया जाना एवं हीट रेजिलिएंट बिल्डिंग मैटेरियल का उपयोग किया जाना।

पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विभाग–

- पंचायत भवन, सामुदायिक केन्द्रों को कूलिंग शेल्टर्स बनना।
- हैंड पम्पों को क्रियाशील करना।
- बाजार, बस स्टैण्ड, सार्वजनिक स्थलों पर अस्थायी शेड लगवाना एवं छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- वी0वी0–जी0 राम जी0 (मनरेगा) कामगारों की कार्य अवधि में परिवर्तन।
- कार्यस्थल पर पानी एवं छाया की समुचित व्यवस्था।
- तालाब, जल स्रोतों, नलों की सफाई एवं सरंक्षण।
- ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा दैनिक स्थिति समीक्षा।

ऊर्जा विभाग–

- विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।
- गर्मी (Peak Hour) को देखते हुये विद्युत कटौती के समय में परिवर्तन।

परिवहन विभाग–

- बड़े बस स्टैण्डों/टर्मिनलों पर प्राथमिक चिकित्सा एवं कूल वार्ड बनाये जाने की समुचित व्यवस्था करना।
- बस स्टैण्डों/ टर्मिनलों पर छाया एवं पेयजल की व्यवस्था।

डिवीजनल रेलवे मैनेजर–

- मैकेनिकल/इलैक्ट्रिकल सिस्टम (पंखा/ए0सी0) का प्राथमिकता के आधार पर समुचित रखरखाव किया जाना।
- ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर छाया (कूल रूम) स्थापित करना एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था करना।

वन विभाग–

- वन अग्नि से बचाव हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण कर कार्य पूर्ण करें।
- वृक्षारोपण एवं वृक्षारोपित किये गये पौधों के सुरक्षा एवं रख–रखाव सुनिश्चित करना।
- जंगली जानवरों एवं पक्षियों के लिए छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।

पर्यटन विभाग–

- प्रदेश में हीट–वेव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों हेतु एडवाइजरी निर्गत किया जाना।
- राज्य भ्रमण पर आये हुये पर्यटकों का समुचित पंजीकरण।
- मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर आए दर्शनार्थियों हेतु अस्थायी आश्रय स्थल स्थापित करना, कूलर, पंखें की व्यवस्था सुनिश्चित करना एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था करना।

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग–

- ऑगनबाड़ी केन्द्रो के माध्यम से जागरूकता।
- ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर प्यायू की व्यवस्था, ओ0आर0एस0, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- गर्मी के दृष्टिगत ऑगनबाडी केन्द्रों पर मिड–डे–मील (एम0डी0एम0) में वितरित भोजन की गुणवत्ता का विशेष ख्याल रखा जाएं।
- राहत एवं सहायता गतिविधियों में प्रतिभाग करना तथा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करना।
- स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय।

उ0प्र0 अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवायें–

- किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना के लिए समुचित तैयारी रखना।
- आग लगने की दुर्घटनाओं हेतु नगर निकायों से समन्वय।
- बाजार, गोदाम, अस्पताल, स्कूल, भीड़–भाड़ वाले क्षेत्रों में फायर सेफ्टी निरीक्षण।
- त्वरित अग्निशमन प्रतिक्रिया/ हीटवेव अवधि में फायर स्टेशन को हाई अलर्ट पर रखना।
- अन्य विभागों के साथ संयुक्त कन्ट्रोल रूम संचालन मे सहयोग।

उक्त के अतिरिक्त यदि किसी विभाग द्वारा हीटवेव के प्रबंधन हेतु कोई अन्य कार्य भी किया जाना है तो उसको भी सम्मिलित किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

बी–1 ब्लाक, प्रथम तल, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में हीट वेव से बचाव हेतु विभागीय कार्ययोजना तैयार/अद्यतन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्ययोजना की प्रति उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

27/2

(डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
राहत आयुक्त/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. मुख्य सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
2. सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

(डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
राहत आयुक्त/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में हीट वेव से बचाव हेतु विभागीय कार्ययोजना तैयार/अद्यतन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्ययोजना की प्रति उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
राहत आयुक्त/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित–

1. मुख्य सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
2. सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

(डॉ0 हृषिकेश भास्कर यशोद)
राहत आयुक्त/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Highest maximum temperature in °C March 2025 to June 2025					
Sr. No	Station	March	April	May	June
1.	Lucknow	39.7	43.0	42.4	44.0
2.	Barabanki	39.5	43.0	42.5	41.6
3.	Hardoi	39.0	42.5	42.0	42.5
4.	Kanpur(IAF)	42.0	44.8	45.2	44.9
5.	Kanpur(City)	39.0	42.4	43.4	43.9
6.	L.Kheri	35.0	41.0	40.0	40.0
7.	Gorakhpur	39.4	42.8	42.0	41.8
8.	Varanasi AP	39.5	42.7	43.9	43.2
9.	Varanasi BHU	40.6	44.2	45.0	44.6
10.	Ballia	39.1	44.1	42.0	43.1
11.	Churk	39.4	43.2	43.5	42.4
12.	Bahraich	39.6	42.8	41.6	42.8
13.	Prayagraj	42.0	44.8	45.4	45.0
14.	Fatehpur	39.6	41.6	NA	NA
15.	Banda	40.2	44.0	46.6	44.8
16.	Sultanpur	40.3	44.8	44.0	43.5
17.	Ayodhya	37.9	42.5	42.5	42.0
18.	Fursatganj	40.2	43.8	44.4	43.3
19.	Ghazipur	39.6	44.0	43.0	44.5
20.	Fatehgarh	36.0	40.0	41.0	42.0
21.	Basti	NA	NA	NA	NA
22.	Jhansi	41.1	44.1	46.1	46.0
23.	Orai	36.2	43.0	44.2	45.4
24.	Hamirpur	41.2	44.2	45.2	44.6
25.	Bareilly Ob	36.9	42.3	40.0	40.7
26.	Shahajhanpur	37.6	42.0	40.7	41.2
27.	Najibabad	35.0	40.0	40.5	40.5
28.	Moradabad	37.5	42.2	42.0	42.5
29.	Muzaffarnagar	34.4	40.4	39.6	41.1
30.	Meerut	38.4	41.1	41.0	42.0
31.	Etawah	38.2	42.4	43.6	NA
32.	Agra Taj	39.6	43.6	44.5	45.9
33.	Aligarh	39.0	43.2	42.6	43.0
34.	Bulandsahar	37.0	42.0	40.0	42.0

Source: IMD

Highest maximum temperature in °C: year 2021, 2022, 2023, 2024 and 2025.

	2025	2024	2023	2022	2021
Station	**Maximum**	**Maximum**	**Maximum**	**Maximum**	**Maximum**
Lucknow	44	46.0	43.2	45.1	41.9
Barabanki	43	46.0	43.5	41.8	40.0
Hardoi	42.5	45.0	43.5	43.0	40.2
Kanpur(IAF)	45.2	48.4	45.0	46.3	42.7
Kanpur(City)	43.9	46.8	43.0	44.0	42.2
L.Kheri	41	45.1	42.0	42.0	42.2
Gorakhpur	42.8	44.0	43.7	42.4	41.0
Varanasi AP	43.9	47.8	44.5	45.2	43.4
Varanasi BHU	45	47.2	43.6	45.0	43.6
Ballia	44.1	44.0	43.5	41.5	41.4
Churk	43.5	47.0	44.2	45.0	43.5
Bahraich	42.8	45.4	42.0	41.4	41.0
Prayagraj	45.4	48.8	45.7	46.8	44.3
Fatehpur	41.6	47.2	NA	NA	NA
Banda	46.6	44.8	44.6	47.7	45.2
Sultanpur	44.8	47.0	43.6	44.4	43.0
Ayodhya	42.5	45.0	43.5	42.5	41.0
Fursatganj	44.4	47.2	44.5	45.4	42.8
Ghazipur	44.5	NA	NA	NA	NA
Fatehgarh	42	45.1	43.9	43.8	42.4
Basti	43.0	45.0	44.0	43.0	43.0
Jhansi	46.1	49.0	46.5	46.2	44.9
Orai	45.4	47.4	43.6	46.1	NA
Hamirpur	45.2	48.2	44.5	44.2	42.2
Bareilly Ob	42.3	45.3	41.8	41.2	41.5
Shahajhanpur	42	43.5	41.5	42.4	41.5
Najibabad	40.5	43.2	40.5	39.8	40.8
Moradabad	42.5	44.2	NA	NA	NA
Muzaffarnagar	41.1	43.0	41.2	41.4	40.1
Meerut	42	44.6	41.5	42.7	41.2
Etawah	43.6	45.4	43.0	42.2	39.0
Agra Taj	45.9	48.6	46.0	45.6	44.0
Aligarh	43.2	45.8	43.4	44.2	43.0
Bulandsahar	42	46.0	NA	NA	NA

Source: IMD

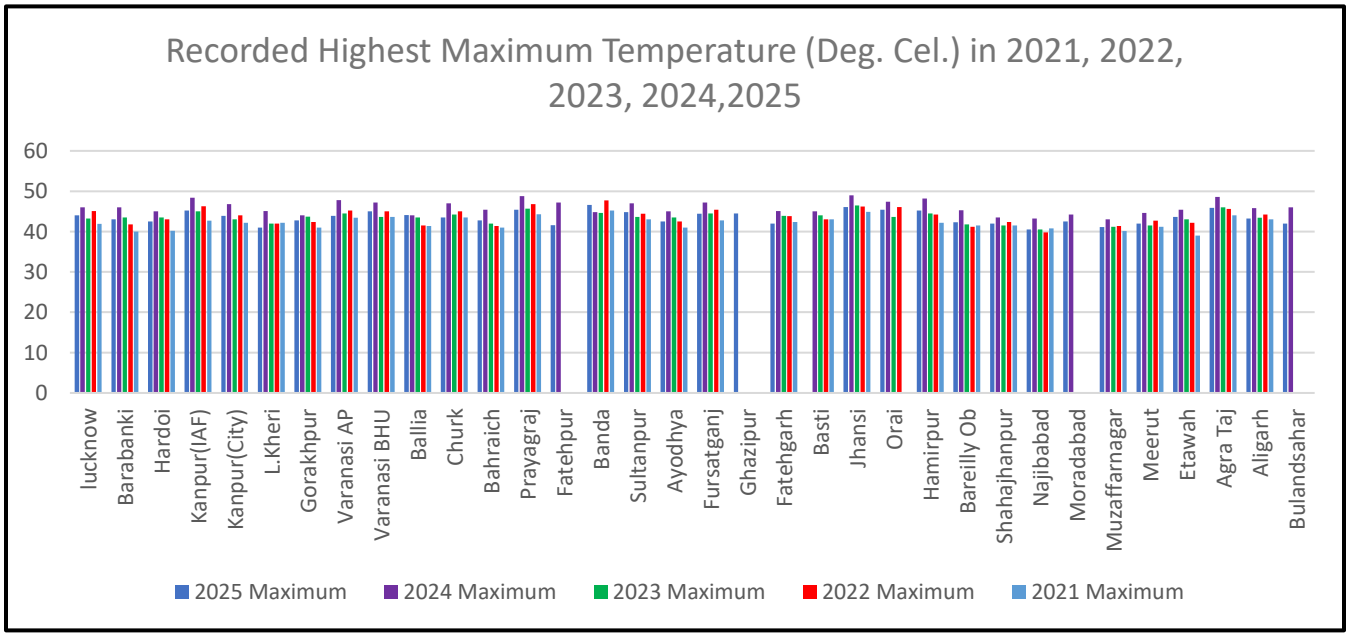
Recorded Highest Maximum Temperature (Deg. Cel.) in 2021, 2022, 2023, 2024,2025
60
50
40
30
20
10
0
lucknow
Barabanki
Hardoi
Kanpur(IAF)
Kanpur(City)
L.Kheri
Gorakhpur
Varanasi AP
Varanasi BHU
Ballia
Churk
Bahraich
Prayagraj
Fatehpur
Banda
Sultanpur
Ayodhya
Fursatganj
Ghazipur
Fatehgarh
Basti
Jhansi
Orai
Hamirpur
Bareilly Ob
Shahajhanpur
Najibabad
Moradabad
Muzaffarnagar
Meerut
Etawah
Agra Taj
Aligarh
Bulandsahar
2025 Maximum
2024 Maximum
2023 Maximum
2022 Maximum
2021 Maximum

Source: IMD

No. of Heatwave Days-March to July-2025

S.N.	Station	March 2025	April 2025	May 2025	June 2025	July 2025	Total 2025
1.	Lucknow (AP)	0	0	0	1	0	**1**
2.	Barabanki	0	1	0	0	0	**1**
3.	Hardoi (ob)	0	1	0	0	0	**1**
4.	Kanpur (IAF)	0	0	1	0	0	**1**
5.	Kanpur(city)	0	0	0	1	0	**1**
6.	L.Kheri	0	0	0	0	0	**0**
7.	Gorakhpur	0	1	0	2	0	**3**
8.	Varanasi AP	0	0	0	0	0	**0**
9.	Varanasi BHU	0	0	1	2	0	**3**
10.	Ballia	0	5	0	0	0	**5**
11.	Churk	0	0	0	0	0	**0**
12.	Bahraich	0	2	0	1	0	**3**
13.	Prayagraj(ALB)	2	0	1	1	0	**4**
14.	Fatehpur	0	0	0	0	0	**0**
15.	Banda	0	0	7	0	0	**7**
16.	Sultanpur	0	2	0	0	0	**2**
17.	Ayodhya (FZB)	0	0	0	0	0	**0**
18.	Fursat ganj	0	1	0	0	0	**1**
19.	Ghazipur	0	2	0	2	0	**4**
20.	Fatehgarh	0	0	0	0	0	**0**
21.	Basti	0	0	0	1	0	**1**
22.	Jhansi	1	0	4	2	0	**7**

23.	Orai	0	1	0	3	0	**4**
24.	Hamirpur	3	0	1	0	0	**4**
25.	Bareilly Ob.	0	0	0	0	0	**0**
26.	Shahajhanpur	0	1	0	0	0	**1**
27.	Najibabad	0	0	0	0	0	**0**
28.	Moradabad	0	0	0	1	0	**1**
29.	Muzaffarnagar	0	0	0	1	0	**1**
30.	Meerut	0	0	0	1	0	**1**
31.	Etawah	0	0	0	0	0	**0**
32.	Agra Taj	0	2	0	4	0	**6**
33.	Aligarh	0	3	0	0	0	**3**
34.	Bulandsahar	0	0	0	0	0	**0**
	Total Heatwave Days	**06**	**22**	**15**	**23**	**0**	**66**

Source: IMD

No. of Heat wave days in 2021-2025

Station	2021	2022	2023	2024	2025
Lucknow	1	11	0	12	1
Barabanki	1	17	5	11	1
Hardoi	2	4	0	14	1
Kanpur(IAF)	NA	NA	NA	23	1
Kanpur(City)	4	10	3	19	1
L.Kheri	2	7	3	6	0
Gorakhpur	0	0	12	17	3
Varanasi AP	1	21	6	14	0
Varanasi BHU	1	24	4	13	3
Ballia	0	4	8	9	5
Churk	1	20	7	11	0
Bahraich	0	1	3	23	3
Prayagraj	2	42	14	22	4
Fatehpur	0	6	0	9	0
Banda	6	27	2	1	7
Sultanpur	0	15	0	15	2
Ayodhya	NA	NA	NA	2	0
Fursatganj		9	2	14	1
Ghazipur	0	0	0	0	4
Fatehgarh	8	27	0	4	0
Basti	NA	NA	NA	12	1
Jhansi	12	35	10	25	7
Orai	0	21	0	23	4
Hamirpur	1	10	0	22	4
Bareilly Ob	0	2	0	10	0
Shahajhanpur	1	18	1	9	1
Najibabad	6	0	0	10	0
Moradabad	NA	NA	NA	13	1
Muzaffarnagar	0	3	0	11	1
Meerut	2	12	0	14	1
Etawah	0	1	0	5	0
Agra Taj	9	36	10	23	6
Aligarh	2	14	0	13	3
Bulandsahar	NA	NA	NA	7	0
Total	**62**	**397**	**90**	**436**	**66**

Source: IMD

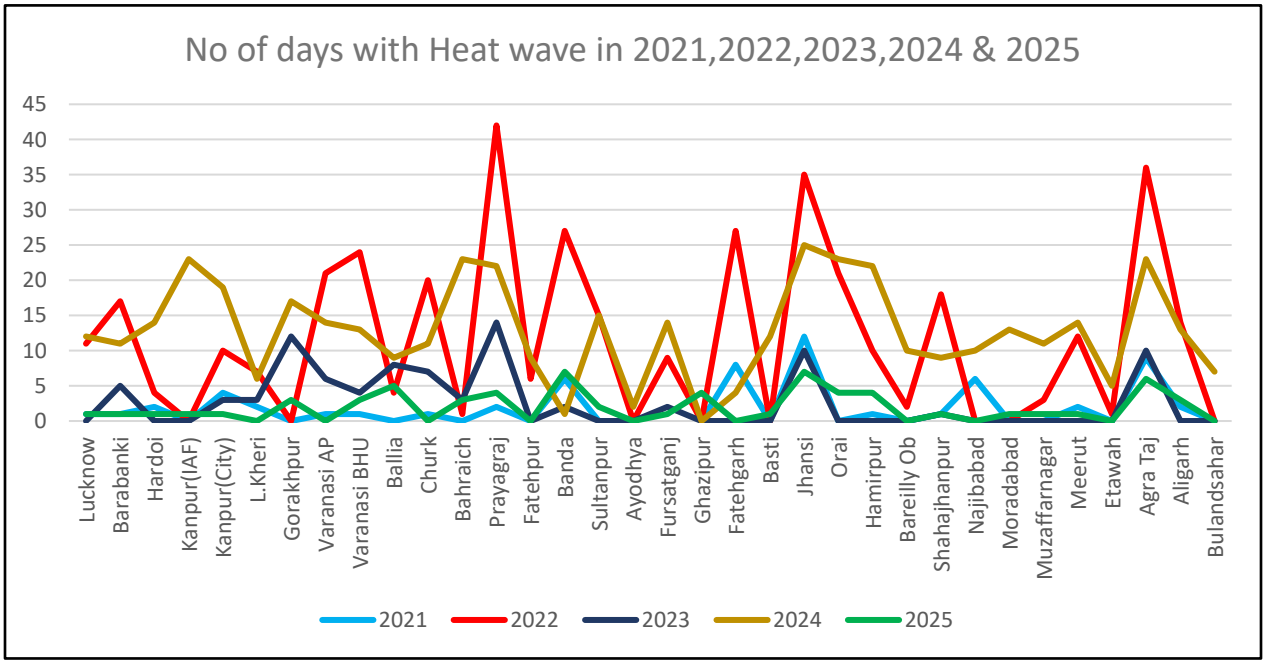
No of days with Heat wave in 2021,2022,2023,2024 & 2025
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Lucknow
Barabanki
Hardoi
Kanpur(IAF)
Kanpur(City)
L.Kheri
Gorakhpur
Varanasi AP
Varanasi BHU
Ballia
Churk
Bahraich
Prayagraj
Fatehpur
Banda
Sultanpur
Ayodhya
Fursatganj
Ghazipur
Fatehgarh
Basti
Jhansi
Orai
Hamirpur
Bareilly Ob
Shahajhanpur
Najibabad
Moradabad
Muzaffarnagar
Meerut
Etawah
Agra Taj
Aligarh
Bulandsahar
2021
2022
2023
2024
2025

Source: IMD

संख्या-180/एक-11-2025

प्रेषक,

पी० गुरुप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, कृषि, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, श्रम, वन, पर्यटन, परिवहन, आई० टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. मण्डनिदेशक/निदेशक/आयुक्त,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं जन सम्पर्क, ग्राम्य विकास, स्थानीय निकाय, पशुपालन, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं मौसम विज्ञान विभाग, अग्निशमन एवं आपात सेवाएं।
3. मंडल रेल प्रबन्धक, (उत्तरी रेलवे, उत्तर पूर्वी एवं उत्तर मध्य रेलवे)।

राजस्व अनुभाग-11 **लखनऊः दिनांकः 18 मार्च, 2025**

विषयः प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी / कार्ययोजना बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में हीट-वेव से बचाव के लिए पूर्व में निर्गत एडवाइजरी का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पूर्व में निर्गत एडवाइजरी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2025 के लिए कार्ययोजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

2. देश में प्रतिवर्ष हीट-वेव (लू-प्रकोप) से होने वाली क्षतियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हीट-वेव से बचाव हेतु पूर्व में निर्गत एडवाइजरी में राज्य को विभिन्न स्तरों (राज्य/जनपद/ब्लाक स्तर) पर नोडल अधिकारी नामित करने, वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से जनपद एवं ब्लाक स्तर पर हीट-वेव को मॉनीटर किए जाने, हीट वेव के समय क्या करें व क्या न करें की प्रचार सामग्री के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने, मोबाइल मेसेज वाट्सएप के माध्यम से चेतावनी प्रेषित किए जाने, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाडी केन्द्र पर ओ०आर०एस० पैकेट की समुचित व्यवस्था किए जाने, तीव्र गर्मी से बचाव हेतु विद्यालय के समय में परिवर्तन किए जाने, पेयजल की समुचित व्यवस्था एवं श्रमिकों/ कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन किए

जाने के निर्देश दिए गए है।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या- 1-43/2022-पी. पी., दिनांक 25-04-2024 के माध्यम से राज्य एवं जनपद स्तर पर हीटवेव नोडल आफिसर नामित किये जाने के दिये गये निर्देश के क्रम में राजस्व अनुभाग-11, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय आदेश संख्या-414/एक-11-2024, दिनांक 26-04-2024 द्वारा राज्य स्तर पर राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश को राज्य हीटवेव नोडल अधिकारी तथा जिले स्तर पर जनपद के अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जनपद हीटवेव नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

4. जनपद स्तर पर हीट-वेव से बचाव हेतु नामित नोडल अधिकारी द्वारा हीट-वेव की स्थिति में क्या करें व क्या न करे के संबंध में जागरूकता फैलाने, सनस्ट्रोक से मृत्यु से बचाव हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए जाने, हीट-वेव के संबंध में नियमित रूप से प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित किए जाने, मंदिरों/लोक भवन/मॉल को Cooling Centre के रूप में चिन्हित किए जाने, लोक स्थानों पर एन०जी०ओ०/सामुदायिक समूहों वैयक्तिक रूप से पानी एवं छांछ की व्यवस्था किए जाने, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए है।

5. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा हीटवेव से बचाव हेतु सबधित विभागों हेतु पूर्व निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में हीटवेव से बचाव हेतु विभागवार एडवाइजरी निम्नवत है:-

<u>सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग:-</u>

- क्षेत्रीय भाषा में आई०ई०सी सामग्री पोस्टर एवं पैम्फलेट तैयार किया जाना।
- इलेक्ट्रानिक मीडिया (टी०वी०/एफ०एम० रेडियों) प्रिन्ट मीडिया (समाचार पत्र) सोशल मीडिया (फेसबुक / ट्विटर वाट्सएप के माध्यम से हीट वेव की स्थिति में क्या करें व क्या न करें के सबंध में जागरुकता फैलाना।

<u>स्वास्थ्य विभाग -</u>

- दिशा-निर्देश/प्रशिक्षण दिया जाना एवं ग्राम स्तर के पदाधिकारियों हेतु चेतावनी निर्गत किया जाना।
- क्षेत्रीय अस्पतालों में गर्मी से सबधित परीक्षण किया जाना।
- प्रभावित जनता के देखभाल हेतु अतिरिक्त स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जाना तथा अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ०आर०एस० के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था।
- मृत्यु के कारकों की जांच करने में मानक प्रोटोकाल का पालन किया जाना।

- हीट-वेव से मृत्यु की दशा में मृतकों के पंजीकरण की समान प्रक्रिया का पालन।

नगर निगम

- शहर/कस्बों/स्लम बस्ती, जिनका हीट वेव से ज्यादा प्रभावित होना संभाव्य है, को चिन्हित किया जाना तथा पेयजल की व्यवस्था किया जाना।
- खुले पार्को में छाया की समुचित व्यवस्था किया जाना।
- सड़को पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव ।
- शहरी क्षेत्रों में नयी इमारतों के निर्माण हेतु समुचित योजना तैयार किया जाना।
- Environment and Building Code का पालन करते हुये ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाना।

श्रम विभाग

- औद्योगिक एवं अन्य श्रमिकों के लिए गर्मी संबंधित बीमारियों हेतु जागरूकता कैम्प का आयोजन।
- बाह्य कार्यों हेतु कार्य घण्टों में परिवर्तत किए जाने हेतु नियोक्ता को निर्देशित किया जाना।
- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना
- पीने के पानी की समुचित व्यवस्था तथा निर्माण कामगारों के सम्बन्ध में अन्य अनिवार्य मानकों का पालन ।

पशुपालन विभाग

- पशुओं की सुरक्षा हेतु हीट-वेव एक्शन प्लान तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन।
- पशुपालक कृषकों को हीट वेव की स्थिति में पशुओं की सुरक्षा हेतु जागरूक करने हेतु ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय स्टॉफ एवं गौपालकों को निर्देशित किया जाना।
- पशुओं हेतु आश्रय स्थलों / समुचित वेटनरी मेडिसिन एवं पीने हेतु पेय जल की समुचित व्यवस्था किया जाना।

आई०टी० विभाग

- राज्य एवं जनपदों में हीट-वेव की स्थिति की मॉनीटरिंग हेतु डैसबोर्ड / इण्टरफेज की व्यवस्था।
- उक्त डैसबोर्ड/पोर्टल से बल्क एस०एम०एस० भेजे जाने की सुविधा।

- हीट-वेव से सम्बन्धित चेतावनी एवं आश्रय स्थलों/पेय जल की सूचना के प्रसारण हेतु मोबाइल ऐप विकसित किया जाना।

शिक्षा विभाग

- समस्त शैक्षिक संस्थानों में छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।
- गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समयावधि में परिवर्तन।
- गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाकलापों को न किया जाये।

पंचायतीराज / ग्राम्य विकास विकास

- मनरेगा कामगारों की कार्य अवधि में परिवर्तन।
- कार्यस्थल पर छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।

ऊर्जा विभाग

- विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।
- गर्मी (Peak Hour) को देखते हुये विद्युत कटौती के समय में परिवर्तन ।

परिवहन विभाग

- बड़े बस स्टैण्डों/टर्मिनलों पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था।
- बस स्टैण्डों/ टर्मिनलों पर छाया एवं पेयजल की व्यवस्था।

डिवीजनल रेलवे मैनेजर

- मैकेनिकल / इलेक्ट्रिक सिस्टम (पखा/ए०सी०) का प्राथमिकता के आधार पर समुचित रखरखाव किया जाना।
- ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था।

वन विभाग

- लोक स्थानों पर हरियाली सुनिश्चित करना।
- वन अग्नि से बचाव हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण।
- जंगली जानवरों एवं पक्षियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था।

पर्यटन विभाग

- प्रदेश में हीट-वेव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों हेतु एडवाइजरी निर्गत किया जाना।
- राज्य भ्रमण पर आये हुये पर्यटकों का समुचित पंजीकरण।
- मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर आए दर्शनार्थियों हेतु अस्थायी आश्रय स्थल एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।

6. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में हीट वेव से बचाव हेतु निर्गत उक्त एडवाइजरी के क्रम में विभागीय कार्ययोजना तैयार किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हीट वेव से बचाव हेतु विभागीय कार्ययोजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्ययोजना की प्रति राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Guru Prasad Porala
Date: 18-03-2025 11:46:28

(पी० गुरुप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव:-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
6. निजी सचिव, सचिव एवं राहत आयुक्त, उ०प्र०।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. राजस्व अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

Signed by Om Prakash Yadav
Date: 18-03-2025 09:44:57

(ओम प्रकाश यादव)
संयुक्त सचिव